

पत्रांक

बी० बी० ओझा,
विशेष निदेशक, मा० शिक्षा।

सेवा में

आयुक्त,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा क्र. 2 उम्मीदी रोड,
नई दिल्ली-110092

विषय कटहरी पब्लिक स्कूल, कटहरी, १० चम्पारण को अनापत्ति प्रमाण-पत्र के संबंध में।

महाराज,

उपरोक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि कटहरी पब्लिक स्कूल, कटहरी १० चम्पारण को अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के संबंध में संबंधित जिला शिक्षा प्रदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये जाय प्रतिवेदन एवं प्रतिवेदन के साथ सलगन उक्त विद्यालय प्रमाण के द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों/कागजातों की समीक्षा विभाग की सक्षम समिति द्वारा की गयी एवं विद्यालय की स्थिति निम्न प्रकार पाई गई -

1. यह विद्यालय अलकरीम एडुकेशनल एव वेल्फेयर ट्रस्ट के अधीन संचालित है। इस ट्रस्ट में किसी एक व्यक्ति/परिवार का प्रभुत्व नहीं है। सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य का व्यौरा दिया गया है तथा संपत्ति भी दीया गया है।
2. विद्यालय प्रबंधक द्वारा किसी अन्य निबंधित सोसाइटी/न्यास के फेन्दाईजी अथवा किसी विद्यालय के बाड गेन उपयोग नहीं करने का दावा किया है।
3. विद्यालय को 02.37 एकड भूखण्ड उपलब्ध है। विद्यालय में पर्याप्त उपस्कर पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला भी उपलब्ध है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को स्थल निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना होगा कि विद्यालय की आधारभूत संरचना एवं सुविधाएँ बोर्ड के मानक के अनुरूप है अथवा नहीं।
4. विद्यालय में शिक्षक की नियुक्ति समाचार पत्रों में विज्ञापन निकालकर विहित प्रक्रिया के द्वारा किया गया है। विद्यालय में 15 शिक्षक हैं। सी० बी० एन० ई० नई दिल्ली को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षकों की योग्यता प्रशिक्षण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मापदण्डों के अनुरूप है अथवा नहीं।
5. विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाये जाने का दावा किया गया है।
6. विद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्कों वार्षिक लेखा अर्कोशन तथा वार्षिक प्रतिवेदन पतियन सार्वजनिक करने का आश्वासन दिया गया है। विद्यालय अपने आश्वासन के अनुरूप कार्रवाई करे इसे सी० बी० एन० ई० नई दिल्ली को सुनिश्चित करना होगा।
7. विद्यालय के द्वारा लिखित रूप में सहमति दी गयी है कि उसने विभागीय अधिसूचना साख्या-239, दिनांक 04.04.2006 में उल्लेखित अधिष्ठित शर्तें स्वीकार है।

११०

अर्पित शर्तों के अनुसार -

- (i) विद्यालय में कुल क्षमता का 25 प्रतिशत नि. शुल्क नामांकन पत्रों में विद्यमान बच्चों द्वारा प्रवेश के बच्चों का किया जायेगा तथा उनसे टयोरन शुल्क अर्कोशन किसी अन्य प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा। ऐसे बच्चों की श्रेणी में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विद्यार्थी एवं अल्प विद्यार्थी वर्ग अल्पसंख्यक, विकलांग बालिकाएँ तथा सामान्य श्रेणी के परिवार विद्यार्थी का प्रतिवर्ष ₹200,000/- (दो लाख रुपये मात्र) से कम होगा। का रखा गया है।
 - (ii) विद्यालय में नर्सरी/कें० जी० अथवा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए किसी तरह की प्रवेश परीक्षा/सक्षात्कार (बच्चों एवं माता/पिता सहित) नहीं लिया जायेगा। अगर नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित क्षमता से अधिक हो तो शुद्ध तरीका में Draw of Lots के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का चयन किया जायेगा।
 - (iii) नर्सरी/कें० जी० तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय में आगमन की दूरी अधिकतम एक किलोमीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा में नामांकन हेतु अधिकतम दूरी तीन किलोमीटर तक रहेगी।
 - (iv) जिन बच्चों का नामांकन नहीं होता है उनको तभी गई आवेदन शुल्क की शर्त का 80 प्रतिशत प्रति वापस लौटाने की व्यवस्था होगी।
8. यह कि विद्यालय का निरीक्षण विभागीय परदाधिकारी के द्वारा किया गया है। फिर भी सी० बी० एन० ई० नई दिल्ली अपने स्तर से जाँच कर यह सुनिश्चित हो ले कि विद्यालय उनक द्वारा निर्धारित मापदण्ड के आधार पर संचालित है।
9. साथ ही बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालय के द्वारा अपनी सहमति के अनुसार अनिवार्य एवं अर्पित शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है। स्कूल का यह जल सार्वजनिक करनी होगी तथा इसका उत्सर्ज प्रसिपेटस एवं वेवटाईट में करना होगा। शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा तथा सम्बन्धन रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी।
10. विभागीय पत्रांक-46 दिनांक 18.01.2008 द्वारा शिक्षक/छात्रों को शारीरिक दण्ड नहीं दिए जाने संबंधी आदेशों का विद्यालयों द्वारा पालन करना होगा।
11. विद्यालय बिहार सरकार के शिक्षा विभाग अथवा स्वास्थ्य विभाग के नियंत्रण प्रदाधिकारी के द्वारा निरीक्षण हेतु किसी भी समय खुला रहेगा।

उपरोक्त तथ्यों/वर्णित शर्तों के आलोक में सक्षम समिति के निर्णयानुसार कटहरी पब्लिक स्कूल, कटहरी, १० चम्पारण को सी० बी० एन० ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दी जाती है।

अनुलग्नक :- जिला शिक्षा प्रदाधिकारी परियम चम्पारण, बेतिया का जाँच प्रतिवेदन सलगन।

विषयसम्बन्धन

स/-

(बी० बी० ओझा)

विशेष निदेशक, मा० शिक्षा।

पत्रांक

दिनांक

प्रतिनिधि : जिला शिक्षा प्रदाधिकारी परियम चम्पारण, बेतिया को उनके पत्रांक 564 दिनांक 28.11.2011 के प्रमाण में सुचनाएँ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।

स/-

विशेष निदेशक, मा० शिक्षा।

पत्रांक

दिनांक

प्रतिनिधि : प्रचारक कटहरी पब्लिक स्कूल, कटहरी १० चम्पारण को सुचनाएँ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।

विशेष निदेशक, मा० शिक्षा।